इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 429] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 सितम्बर 2013—भाद्र 22, शक 1935

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर 2013

क्र. एफ-22-85-2006-आठ.—मध्यप्रदेश शासन (जी.ओ.एम.पी.) के मंत्रिमण्डल द्वारा दिनांक 18 फरवरी 2005 की बैठक में लिये गये निर्णय एवं तत्पश्चात् सामान्य प्रशासन विभाग (जी.ए.डी.), मध्यप्रदेश शासन द्वारा पारित आदेश क्र. एफ-9-42-2011-1-4, दिनांक 18 मई 2011, जिसके द्वारा मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम (म. प्र. स. प. नि.) की अचल आस्तियों एवं सम्पत्तियों के निपटारे के लिए अन्तर्विभागीय समिति (आई.डी.सी.) का गठन किया गया था, की आगे की कार्यवाही को अग्रसर करने में राज्य शासन, मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम से परामर्श के पश्चात्, एतद्द्वारा यह निर्देशित करता है कि निम्नलिखित प्रशासनिक व्यवस्थाएं लागू की जावेंगी:—

1. यह कि, अंतर्विभागीय समिति (आई.डी.सी.)द्वारा, उनकी बैठक दिनांक 21 दिसम्बर 2011, 17 अप्रैल 2012 एवं 20 मार्च 2013 में मध्यप्रदेश वित्त निगम (म. प्र. वि. नि.) को ट्रांजेक्शन एडवाईजर नियुक्त किया गया है, जिसकी सूचना उन्हें मध्यप्रदेश (परिवहन विभाग) के पत्र दिनांक 21 मई 2012 तथा 02 अप्रैल 2013 के द्वारा दी गई है एवं जिसके अंतर्गत म. प्र. स. प. नि. की अचल आस्तियों एवं सम्पत्तियों का मूल्यांकन आदि एवं उन्हीं आस्तियों एवं सम्पत्तियों के निवर्तन हेतु कार्ययोजना तैयार करना है.

2. यह कि, मध्यप्रदेश शासन से कार्ययोजना के अनुमोदन पश्चात् म.प्र.स.प.नि. अपनी अचल आस्तियों एवं सम्पत्तियों के निवर्तन, हेतु ट्रांजेक्शन एडवाईजर अर्थात् (म.प्र.वि.नि.) की सलाह एवं सहायता के साथ अग्रसर होगा.

3. यह कि, म. प्र. स. प. नि. के द्वारा म. प्र. वि. नि. (ट्रांजेक्शन एडवाईजर) के साथ दिनांक 13 अप्रैल 2013 को एक मेमोरेण्डम ऑफ अण्डरस्टेण्डिंग (एम.ओ.यू.) निष्पादित किया गया है.

4. यह कि, उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एवं मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम तथा राज्य शासन के हितों के सुरक्षा के लिए सद्भावनापूर्वक किये गये समस्त कार्यों के लिए म. प्र. वि. नि. एवं इसके अधिकारीगण, कर्मचारीगण तथा

सहयोगीगण पूर्ण रूप से समस्त वैधानिक कार्यों, न्यायालयीन कार्यवाहियों, जिम्मेदारियों और जवाबदारियों आदि से मुक्त रहेंगे तथा उनकी सम्पत्तियों को भी कुर्की, जब्तियों, निष्पादन आदि से पूर्णतः मुक्त तथा छूट प्राप्त रहेंगी, साथ ही उनके द्वारा दी गई सभी सलाहों व सहायताओं के लिए जो कि म.प्र.स.प.नि. एवं म. प्र.वि.नि. के मध्य किये गये एमओयू एवं /अथवा अधीनस्थ एमओयू, एवं/अथवा पत्रों के विनिमय में वर्णित हों उनके विरुद्ध कोई दावा क्षतिपूर्ति, मांग आदि नहीं होंगी.

5. म. प्र. स. प. नि. के अधिकारियों, कर्मचारियों आदि तथा सभी अचल आस्तियों एवं सम्पत्तियों की बाबत् एवं सभी प्रकार के वैधानिक कार्यों, न्यायिक प्रकरणों आदि, जो कि म. प्र. स. प. नि. एवं म. प्र. वि. नि. के मध्य किये गये उपरोक्त एमओयू एवं/अथवा अधीनस्थ एम.ओ.यू. एवं/अथवा पत्रों के विनिमय के अन्तर्गत आते हों, के बारे में म. प्र. स. प. नि. सीधे ही आवश्यक कार्यवाही करेगा. यदि म. प्र. वि. नि. इसके अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं सहयोगीगण को ऐसे किसी भी मामलों/न्यायिक प्रकरणों में पक्षकार बनाया जाता है तो म. प्र. स. प. नि. यह सुनिश्चित करेगा कि म. प्र. वि. नि. इसके अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं सहयोगीगण का नाम ऐसे सभी प्रकरणों/ मामलों में विलोपित/काटा जावे एवं/अथवा उनकी ओर से, जैसा भी प्रकरण हो, प्रतिरक्षा/प्रतिवाद प्रस्तुत किया जावे. हालांकि म. प्र. स. प. नि. ऐसे मामलों/न्यायिक प्रकरणों, जो कि उपरोक्तानुसार एम.ओ.यू./अधीनस्थ एमओयू/पत्रों के विनिमय के अंतर्गत अचल सम्पत्तियों एवं सम्पत्तियों से संबंधित हों, म. प्र. वि. नि. जो कि ट्रांजेक्शन एडवाईजर के रूप में कार्यरत है, से सलाह एवं सहायता ले सकेगा.

यह निर्देश दिनांक 21 मई, 2012 से, जो कि म. प्र. शासन (परिवहन विभाग) द्वारा मप्रविनि को प्रेषित किये गये पत्र का दिनांक है, लागू माने जावेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव कुमार झा, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.